न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 3 / 2019

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री तरूण अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी मावल, तहसील आबूरोड, जिला–सिरोही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं।

निर्णय

दिनांक 10.4.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2018 को जिला रसद अधिकारी सिरोही के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी के गोदाम /राजेन्द्र किराणा स्टोर पर जॉच करने पहुॅचने पर गोदाम में अनुदानित नीला केरोसीन मात्रा 75 लीटर (3 जरीकन) का भंडारित करते पाये जाने से उक्त केरोसीन को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी उपस्थित रहा। जवाब पेश नही किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित नीला केरोसीन मात्रा 75 लीटर (3 जरीकन) का भंडारित करते पाये जाने से उक्त केरोसीन को कब्जे सरकार लिया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

जो केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की क्लॉज 3 के (बिन्दु सं. 1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये नीले केरोसीन को जब्त सरकार किया जावे ।

मैने दोनो प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित नीला केरोसीन मात्रा 75 लीटर (3 जरीकन) का अवैद्य भंडारित करते पाये जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की क्लॉज 3 के (बिन्दु सं. 1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गया नीला केरोसीन को जब्त सरकार किया जाना विधि सम्मत् होने से कब्जे सरकार लिये गये नीले केरोसीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये नीले केरोसीन को उपभोक्ताओं को वितरण कर एवं खाली 3 जरीकन को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि उचित लेखा मद में राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे ।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner